रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 5] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 14, 1985/पौष 24, 1906
No. 5] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 14, 1985/PAUSA 24, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 1985

आ० आ० 33(अ) —निर्वाचन न्यायालय नियम, 1961 के नियम 5 तथा 10 और निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण तथा आवंटन) आदेश, 1968 के पैराग्राफ 18 के साथ पठित, संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में, तथा इस कार्य में सहायक अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा, निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण तथा आवंटन) आदेश, 1968 (का आ 2950, दिनांक 31 अगस्त, 1968 के रूप में प्रकाशित) में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश जारी करता है —

1. संक्षिप्त शीर्षक . इस आदेश को निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण तथा आवंटन) (तृतीय संशोधन) आदेश, 1985 कहा जाएगा ।

पैराग्राफ 13 में संशोधन : निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण तथा आवंटन) आदेश, 1968 के पैराग्राफ 13 में, दिनांक 22 सितम्बर, 1994 की अधिसूचना संख्या 56/84 के द्वारा, उक्त आदेश के दूसरे संशोधन के रूप में सम्मिलित किए गए वर्तमान खंड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड (घ) प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(घ) इस प्रकार प्राधिकृत किए गए व्यक्ति का नाम तथा नमूने के हस्ताक्षर, निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग आफिसर को तथा राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को नामनिर्देशन करने की अंतिम तारीख से पहले सूचित कर दिए जाएं ।"

[संख्या 56/85]

आदेश से,

वी. के. राव, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th January, 1985

O.N. 33(E).—In exercise of the powers conferred by Article 324 of the Constitution read with rules 5 and 10 of the Conduct of Elections Rules, 1961, and paragraph 18 of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968, and all other powers enabling it in this behalf, the Election Commission of India hereby makes the following Order to further amend the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968, (published as S.O. 2959, dated the 31st August, 1968) :—

1. Short Title.—This order may be called the Election Symbols (Reservation and Allotment) (Third Amendment) Order, 1985.

2. Amendment to paragraph 13.—In paragraph 13 of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968, for the existing clause (d), as inserted by the second amendment of

the said Order, vide notification No. 56|84, dated the 22nd September, 1984, the following clause (d) shall be substituted, namely :—

"(d) the name and specimen signature of such authorised person are communicated to the returning officer of the constituency *and* to the Chief Electoral Officer of the State before the last date for filing nominations."

[No. 56|85]

By order,
V. K. RAO, Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985